बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

दिनांकः–16.8.2016

संख्या–05 / सह.फ.बी.–11 / 2016.2943/ सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2885, दिनांक–10.08.2016 द्वारा खरीफ 2016 मौसम में राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें धान फसल के लिए ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों किसानों हेतु बीमा कराने की अवधि दिनांक–15.08.2016 निर्धारित है। राज्य में धान फसल की रोपनी का कार्य प्रगति में है। इसी आलोक में विभागीय पत्रांक–2908, दिनांक–11.08.2016 द्वारा खरीफ 2016 मौसम में धान फसल के लिए ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों किसानों हेतु बीमा अवधि को दिनांक–31.08.2016 तक विस्तारित करने का अनुरोध कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से किया गया था।

उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक–13017 / 01 / 2016–ऋण–II(खंड), दिनांक–12.08.2016 द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को मानते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ 2016 मौसम में ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों किसानों हेतु धान फसल के लिए बीमा अवधि को दिनांक–31.08.2016 तक विस्तारित किया गया है। अर्थात् प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों के फसल बीमा आवेदन तथा बैंकों द्वारा प्रीमियम काटने की तिथि को धान फसल के लिए दिनांक–31.08.2016 रखने की अनुमति दी गई है।

तद्नुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ 2016 मौसम में धान फसल के लिए ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों किसानों हेतु फसल बीमा की अवधि को दिनांक–31.08.2016 तक विस्तारित किया जाता है। साथ ही बैंकों द्वारा बीमित किसानों का प्रीमियम एवं घोषणा पत्र संबंधित बीमा कंपनी को जमा करने का समय दिनांक–15.09.2016 तक है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/8/16
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–2943 / पटना, दिनांकः– 16.8.2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव (ई–गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

16/8/16
सरकार के प्रधान सचिव।